सख्या-92/2024-001-21-9002(001)/1/2023-(-1)-9-

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ०प्र० उर्दू अकादमी,
विभूति खण्ड,गोमती नगर,
लखनऊ।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-1

लखनऊ:दिनांक 08 अप्रैल ,2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की योजनाओं के संचालनार्थ प्रथम किस्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय , उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी को उनकी योजनाओं एवं क्रियाकलापों के संचालनार्थ चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में प्रावधानित बजट रू० 550.00 लाख (रूपये पांच करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू० 91.66 लाख (रूपये इक्यानवे लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित नियम व शर्तो / प्रतिबन्धों तथा दिशा निर्देशों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धो

1- उक्त धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा और इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य मदों/कार्यक्रमों पर व्यय न किया जाये तथा अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र दिनांक 31 मई ,2024 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2- स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित नहीं की जायेगी बल्कि आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक कोषागार से आहरित की जायेगी और नियमानुसार ही सक्षम अधिकारी की अनुमति से व्यय की जायेगी तथा बिल आहरण एवं वितरण अधिकारी,भाषा विभाग,उ०प्र० शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए में दिये गये है। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सॅख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च ,2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त के अतिरिक्त स्थायी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा बजट मैनुअल का पालन भी सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रू० 91,66,000 (रूपये इक्यानवे लाख छियासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 039 लेखाशीर्षक 2202051020400 उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी को अनुदान मानक मद -20 सहायता अनुदान-सामान्य (ग़ैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- ये आदेश वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च ,2024 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है|

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-92/2024-001-21-9002(001)/3/2023-(-1)-9-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वित्तीय,उ०प्र० प्रयागराज।

2-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वित्तीय,उ०प्र० प्रयागराज।

3-निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,उ०प्र० प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि उ०प्र० उर्दू अकादमी के लेखों का सम्परीक्षण प्रतिवेदन शासन को यथासमय भेजने का कष्ट करें।

4- कोषाधिकारी,कलेक्ट्रेट ,लखनऊ।

5-आहरण एवं वितरण अधिकारी,(भाषा लेखा प्रकोष्ठ),भाषा विभाग,उ०प्र० शासन।

6-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,उ०प्र० हिन्दी संस्थान,लखनऊ।

7-वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-7/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1

8-भाषा उर्दू अनुभाग-4

9- नोडल अधिकारी (बजट अलाटमेंट) भाषा विभाग, ,उ०प्र० शासन।(श्री रतन दीप दीक्षित)

10 - गार्ड फाइल

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in